रांची में, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पंचायती राज विभाग

1. झारखण्ड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2008 के संशोधन। *1.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

2. पथ प्रमण्डल, दुमका अंतर्गत गोविन्दपुर–साहेबगंज पथ के कि०मी० 143.00 से कि0मी0 188.00 (कुल लं0–46.00 कि0मी0) तक का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु रु0 31,98,21,000/– (एकतीस करोड़ अंठानबे लाख इक्कीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *2.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

3. पथ प्रमण्डल, धनबाद अंतर्गत झरिया–बलियापुर पथ (MDR-047) (कुल लं0–11.440 कि0मी0) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण सहित) हेतु रु० 44,49,77,600/– (चौवालीस करोड़ उनचास लाख सतहत्तर हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *3.* **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

4. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–96 के अन्तर्गत झारखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (Jharkhand Authority of Advance Ruling) के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एस०ओ० 34, दिनांक 13.04.2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए 'मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना' करने के संबंध में।

5. **निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव स्वीकृत :–**

i) राज्य योजना प्राधिकृत समिति की कार्यवाही के अनुसार योजना की लागत राशि रु0 6.00 करोड़ है परन्तु संचिका के टिप्पणी भाग, जिसपर माननीय योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, उसमें रु0 6.00 लाख अंकित है। अतः आदेश निर्गत करने के पूर्व इस बिन्दु पर योजना एवं विकास विभाग से स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।

ii) संलेख में अंकित **'मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना'** के स्थान पर **'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना'** प्रतिस्थापित किया जाय।

iii) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में उपायुक्त स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय, जिसमें डॉक्टर एवं विधायक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इस समिति की पाक्षिक बैठक आयोजित की जाय।

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

6. वित्तीय–वर्ष 2021–22 में केन्द्र प्रायोजित योजना (60:40 प्रतिशत केन्द्राशःराज्यांश) के अन्तर्गत COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package-Phase-II के अधीन भारत सरकार द्वारा RoP में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय किए जाने हेतु कुल रु0 6,38,90,00,000/– (छः अरब अड़तीस करोड़ नब्बे लाख) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

7. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग–9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

8. राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण योजना" अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को वस्त्रों के वितरण हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् जनहित में वित्तीय वर्ष 2020–21 में आमंत्रित निविदा के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्त्ता M/s Mafatlal Industries Ltd., Mumbai को पूर्व की दर एवं शर्त्तों पर आगामी छः माह हेतु वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। *8.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) के अंतर्गत Construction supervision & Quality Control (CSQC) हेतु चयनित सफल परामर्शी द्वारा निविदित राशि रू० 17,21,04,933/– (excluding Taxes) एवं वर्तमान दर (18%) के आधार पर GST राशि रू० 3,09,78,888/– अर्थात कुल राशि रू० 20,30,83,821/–पर सेवा प्राप्त करने की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

10. झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रु0 4,98,00,000/– (चार करोड़ अंठानवे लाख) मात्र की राशि प्राप्त करने के संबंध में। *10.* **स्वीकृत।**

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

12. वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालयों के छूटे हुये शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.1982 अथवा नियुक्ति/योगदान तिथि, जो बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान् में वेतन भुगतान की स्वीकृति। *12.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

13. झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामंकित एवं अध्ययनरत् सामान्य कोटि के सभी छात्र/छात्राओं को साईकिल योजनान्तर्गत निविदा के माध्यम से साईकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। *13.* **स्वीकृत।**

विधि विभाग

15. The Jharkhand State Civil Courts' Court Managers (Recruitment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2020 के गठन के संबंध में। *15.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

16. मार्च, 2022 तक सेवानिवृत होने वाले झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधि विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृति की तिथि से छः (6) माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने के संबंध में। *16.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

17. राज्य सरकार द्वारा "सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण योजना" के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। *17.* **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

18. विभागीय अधिसूचना संख्या–1551, दिनांक 25.09.2020 द्वारा निर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

19. ''झारखण्ड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021'' के गठन के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

20. वित्त (अंकेक्षण) विभाग अंतर्गत झारखण्ड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2015 (संशोधित) के कंडिका–2 (क) एवं 3 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

21. ''ग्रेटर राँची से संबंधित योजना'' का कार्यन्वयन ''योजना एवं विकास विभाग'' से हस्तांतरित कर नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य दायित्व में जोड़े जाने हेतु ''झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय–समय पर यथा संशोधित)'' के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों के कार्य दायित्व में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। *22.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23. राज्य सरकार के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। *23.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। *24.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

25. राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। *25.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

26. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

27. जनवरी, 2020 से जून, 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों का, राज्य कर्मियों के उपादान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य, राशि के भुगतान हेतु मंहगाई भत्ता की गणना के संबंध में। *27.* **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

28. वाणिज्य–कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली–2016 में संशोधन करते हुए वाणिज्य–कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली–2021 गठित किये जाने के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

29. "झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021" के गठन के संबंध में। *29.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

30. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने के संबंध में। *30.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

31. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में। *31.* **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

32. उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावली में संशोधन। *32.* **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

33. उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में। *33.* **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

34. उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में। *34.* **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

35. उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में। *35.* **स्वीकृत।**

खान एवं भू–तत्व विभाग

36. भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त संशोधन नियमावली, 2021 के संबंध में। *36.* **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

37. झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2015 में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। *37.* **स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

38. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के गठन एवं राज्य योजना अन्तर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति। *38.* **स्वीकृत।**